

मांग संख्या 39
मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1 से 2

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचार-प्रसार हेतु राशि रूपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 20000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 200,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन वितरण व्यवस्था का कम्प्यूटराईजेशन किये जाने पर होने वाले व्यय हेतु राशि रूपये 122.00 लाख का व्यय संभावित है । यह अपरीक्षित नवीन मद है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 6408

मद क्रमांक 5

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को बारदाना क्रय हेतु ऋण के लिये राशि रूपये 500000 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6

नागरिक आपूर्ति निगम को रिवाल्विंग फंड हेतु ऋण के लिये राशि रूपये 17500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 175,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।